न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री मोतीलाल सिंघानिया निवासी जी–37, रीको चतुर्थ फेस, पुर रोड़, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 06/2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 03.02.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से क्रमांक/एसडीएम/सू0अ0/2025/81–82 दिनांक 25.01.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलकर्ता श्री मोतीलाल सिंघानिया नि0– जी–37, रीको चतुर्थ फेस, पुर रोड़, भीलवाड़ा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्राप्त ऑफलाईन आवेदन दिनांक 25.11.2024 के क्रम में प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय से चाही गई सूचनाएं प्रार्थी को इस कार्यालय से दिनांक 02.01.2025 को इस कार्यालय के पत्रांकः सामान्य/सूचना का अधिकार/2005/79 द्वारा प्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई थी। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचनाएं लो0सू0अ0 उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से दिनांक 02.01.2025 को कार्यालय के पत्रांकः सामान्य/सूचना का अधिकार/2005/79 द्वारा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)